306 (11) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में उपक्रमों द्वारा विदेशों में वाणिज्यिक क्रियाकलाप से संबद्ध संविदाओं के संबंध में भारत सरकार की जवाबदेही–विदेशी न्यायालयों की अधिकारिता से उन्मुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर अमेरिका और अन्य देशों में वाद लाया गया, जिनमें भारत सरकार को भी मुकद्दमेबाजी में घसीटा गया। हाल ही में मैसर्स वुडस्टॉक एनर्जी इंक, टेक्सास द्वारा भारतीय खनिज और धातु व्यापार नगम के विरूद्ध दायर सिविल वाद इसी प्रकार का मामला है। भारत सरकार को इस आधार पर इस वाद में घसीटा गया है कि खनिज और धातु व्यापार नगम जैसे उपक्रम भारत सरकार का परिवर्तित रूप हैं और उसका भारत सरकार के साथ एजेंट का संबंध होता है।

2. भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय, विधि मंत्रालय और अमेरिका में न्यायवादियों (अटार्नी) के परामर्श से विभिन्न सुधारात्मक उपायों पर विचार किया। इस विषय पर काफी सोच–विचार कर यह सुझाव दिया गया कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सं.रा अमेरिका/अन्य विदेशी कंपनियों के साथ संविदा करते समय निम्नलिखित खंडो को शामिल करना चाहिए।

(निगम) और .....(भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया है और उनके बीच यह सहमति है कि..... (भारतीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) यह करार पूर्णतः अपनी ओर से कर रहा है न कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की ओर से। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है और इस बात पर सहमति है कि भारत सरकार इस करार का पक्षकार नहीं है और इसके अंतर्गत उसकी किसी प्रकार की देयताएं, बाध्यता या अधिकार नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है और इस बात पर सहमति है कि.....(भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) का स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व है और यह भारत में लागू कानूनों और संविदा संबंधी कानूनों के सामन्य सिद्धांतों के अधीन पूर्णतः अपनी ओर से संविदा करने के लिए शक्ति और प्राधिकार रखने वाली स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यह (कंपनी) स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हैं, बात को स्वीकार करती है और समझती हैं, कि.....(भारतीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) भारत सरकार का एजेंट, प्रतिनिधि नही है। इस बात को भी समझ लिया गया है और इस बात पर सहमति है कि..... (भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) द्वारा संविदा संबंधी किसी कृत्यों, चूकों, गलतियों, उल्लंघनों के लिए भारत सरकार न तो उत्तरदायी है और न ही होगी। तद्नुसार (निगम) एतद्द्वारा संविदा के कारण भारत सरकार के विरूद्ध परस्पर दावों, अभियोजक दावों या प्रतिवादों सहित सभी कार्यावाहियों को अभिव्यक्त रूप से अधित्यजित, उन्मुक्त और त्याग करता है और इस करार से या इसके अंतर्गत किसी भी रूप में दावों का कार्यो या किसी भी बात के कारण भारत सरकार पर वाद न लाए जाने के लिए सहमत है।

3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नोटिस को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जानकारी में लाए और उन्हें सलाह दें कि अमरीकी/विदेशी कंपनियों के साथ संविदा करते समय यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित उक्त पैरा 2 में वर्णित खंड को भी करार में शामिल करें। यहा यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि उपर्युक्त खंड को शामिल कर लेने से अमरीकी कंपनी के साथ संविदा कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को छोड़कर भारत सरकार या कोई अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के विरूद्ध अभियोज्य गारंटी प्राप्त नहीं होगी। हालांकि, यह खंड भारत सरकार या उसे संबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कम से कम ऐसा मामला तैयार करने के लिए समर्थ बनाएगा, जिसमें भारत सरकार और संविदा के पक्षकार को छोड़कर अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर वाद लाने के अधिकार का अमरीकी कंपनी ने अधित्यजन कर दिया हो।

(लोक उद्यम विभाग का दिनांक 9.11.1990 का का. ज्ञा.सं. 16(10)/90–जीएम)